"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 577] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2013—पौष 10, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2006/1/एक.—इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी एवं पद के संबंध में पूर्वता क्रम दर्शाने वाली निम्नलिखित सारणी, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित की गई है, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल
5. पूर्व राष्ट्रपति
6. उप-प्रधानमंत्री
7. भारत का मुख्य न्यायमूर्ति
   लोक सभा अध्यक्ष
8. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री,
   संघ के केबिनेट मंत्री,
   उपाध्यक्ष, योजना आयोग
   पूर्व प्रधानमंत्री,
   राज्य सभा एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष
9. भारत रत्न अलंकरणधारी
10. राष्ट्रमण्डल देशों के भारत में अधिकृत असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी तथा उच्चायुक्त,
    अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल,
    अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
11. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति
12. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त,

मुख्य सूचना आयुक्त,
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समकक्ष हैसियत वाले गणमान्य

13. उप सभापति, राज्यसभा,
उपाध्यक्ष, लोक सभा,
संघ के राज्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
योजना आयोग के सदस्य

14. भारत के महान्यायवादी
केबिनेट सचिव

15. पूर्ण जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी धारण करने वाले सेना अध्यक्ष

16. भारत में अधिकृत असाधारण दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री

17. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति
लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ (मान0सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति)
अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग
छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के अध्यक्ष

18. छत्तीसगढ़ के केबिनेट मंत्री
लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ (मान0 उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति)
संघ के उप–मंत्री
छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति/कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति
लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ (मान0 उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति)
मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़

19. लेफ्टिनेन्ट जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी धारण करने वाले स्थानापन्न सेना अध्यक्ष

20. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति
उप–लोकायुक्त, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के समकक्ष हैसियत वाले गणमान्य व्यक्ति

21. अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के केबिनेट मंत्री
अन्य राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के सभापति और अध्यक्ष
अध्यक्ष, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवसाय आयोग
छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री
छत्तीसगढ़ राज्य विधान मण्डल के उपाध्यक्ष

22. छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता
छत्तीसगढ़ के उप–मंत्री
संसद सदस्य
छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव
शासकीय मुख्य सचेतक, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य विधान मण्डल के पूर्व अध्यक्ष
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

23. छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव
अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उप सभापति एवं उपाध्यक्ष
अन्य राज्यों के राज्य मंत्री
अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के कनिष्ठ न्यायमूर्ति
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति

24. जिला पंचायत अध्यक्ष (उनके संबंधित जिले में)
नगर निगम के महापौर
छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री अथवा राज्य मंत्री की समकक्ष हैसियत वाले निर्वाचित गणमान्य व्यक्ति

25. अन्य राज्यों के उप–मंत्री

26. भारत सरकार के सचिव (पदेन पदधारी अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए)
थल सेना कमाण्डर/उप मुख्य थल सेना अध्यक्ष या अन्य सेवाओं के समकक्ष
भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त
अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
सदस्य, अल्प संख्यक आयोग

सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
पूर्ण जनरल श्रेणी या समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
राष्ट्रपति के सचिव
प्रधानमंत्री के सचिव
महासचिव राज्य सभा/लोक सभा
सॉलीसीटर जनरल
उपाध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल
अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग
महानिदेशक, प्रशासन अकादमी
अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

27. लेफ्टिनेन्ट जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी वाले अधिकारी

28. अन्य राज्यों के मुख्य सचिव/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव
अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल
अध्यक्ष, शुल्क दर आयोग
कार्यदूत, कार्यकारी व अंतरिम उच्चायुक्त
मुख्य सतर्कता आयुक्त
निदेशक, आसूचना ब्यूरो
उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल
महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
सदस्य, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवसाय आयोग
सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
सशस्त्र बलों के मेजर जनरल या समकक्ष श्रेणी के प्रमुख सैन्य अधिकारी
महाप्रबंधक, रेलवे

29. भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
मेजर जनरल की श्रेणी या समकक्ष श्रेणी के अधिकारी

30. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़
पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
केन्द्रीय मुख्य आबकारी आयुक्त
मुख्य आयकर आयुक्त, छत्तीसगढ़
पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़
महालेखाकार, छत्तीसगढ़
सदस्य, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग
सदस्य, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़
सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़
सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़
राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़
सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा
31. आयुक्त (सुपर टाइम स्केल)
संभागों के संभागीय आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन के सचिव तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
संभागीय रेल प्रबंधक, रेलवे
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
32. पुलिस महानिरीक्षक तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
मुख्य वन संरक्षक
प्रमुख अभियंता
भूतपूर्व मंत्री व भूतपूर्व राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव
मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार
33. छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त सचिव /विशेष सचिव तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी

राज्य में अवस्थित भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक
छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपति
अतिरिक्त महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़
अध्यक्ष, वाणिज्यिक कर अधिकरण

34. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उनके संबंधित जिले में)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (उनके संबंधित जिलों में)
उप महानिरीक्षक, पुलिस (उनकी संबंधित स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में)
वन संरक्षक, (उनकी संबंधित स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में)
(इस प्रविष्टि की कम सं0 2, 3 एवं 4 के अधिकारीगण की परस्पर पूर्वता उनके ग्रेड वेतन के अनुसार होगी।)
जिला न्यायाधीश की श्रेणी के न्यायिक अधिकारी
ब्रिगेडियर और भारतीय वायु सेना एवं भारतीय नौसेना में समकक्ष श्रेणी धारण करने वाले अधिकारी
संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा समकक्ष संवर्ग
उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा समकक्ष संवर्ग
विभागों के निदेशक तथा अन्य प्रधान शीर्ष और समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
विभागों के मुख्य अभियंता व समकक्ष श्रेणी के अधिकारी,

35. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षक
सुरक्षा बलों के कर्नल तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
उप–सचिव छत्तीसगढ़ भाासन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
संभागीय वन अधिकारी तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

36. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी
अन्य अतिरिक्त एवं संयुक्त विभागाध्यक्ष
राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़
अन्य संभागीय स्तर के अधिकारी (जो अन्यथा शामिल नहीं है)
अतिरिक्त कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी उनकी अधिकारिता के भीतर
सहायक पुलिस महानिरीक्षक तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
विभागों के अधीक्षण यंत्री व समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा समकक्ष संवर्ग

उपायुक्त / विभागों के अतिरिक्त / संयुक्त संचालक व समकक्ष श्रेणी के अधिकारी
केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी / दूरदर्शन
जिले के जिला स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए अन्य अधिकारी

टिपण्णी :–1 पूर्वता सारणी समारोह के अवसरों के लिए है तथा शासन के दिन–प्रतिदिन के कार्यो से इनका कोई संबंध नहीं है ।

टिप्पणी :–2 पूर्वता सारणी के व्यक्तियों की श्रेणी अनुच्छेदों की संख्या के कमानुगत होगी ।

टिप्पणी :–3 अनुच्छेद–8 में, पूर्व प्रधानमंत्री की पूर्वता, संघ के केबिनेट मंत्री तथा राज्य सभा एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष से ऊपर होगी। छत्तीसगढ़ में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पूर्वता संघ के केबिनेट मंत्रियों से ऊपर होगी ।

टिप्पणी :–4 राज्य के बड़े कार्यक्रमों में जब संसद सदस्यों को एक साथ आमंत्रित किया जाता है, तो उनके लिए आरक्षित स्थान मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, राजदूत आदि से अगला होगा।

टिप्पणी :–5 नगर निगम के महापौर उनकी अधिकारिता क्षेत्र में राज्य के उपमंत्री (अनुच्छेद कमांक–22 के नीचे) से नीचे की श्रेणी में होगें।

टिप्पणी :–6 इस पूर्वता सारणी के क्रम, राज्य के लिए तथा समारोह अवसरों के लिए है तथा अधिक अनौपचारिक अवसरों पर सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी :–7 जब एक ही वर्ग के दो महानुभव एक ही अनुच्छेद में रखे गए हों, तो पद सोपान में उच्चतर स्तर के महानुभव की पूर्वता निम्नतर स्तर के महानुभव से ऊपर होगी।

टिप्पणी :–8 पूर्वता सारणी के सरल कमांक 34 की क्रम संख्या 1 एवं 2 के अधिकारीगण की परस्पर पूर्वता, उक्त क्रम संख्या में प्रविष्टि के दिनांक के अनुसार होगी ।

टिप्पणी :–9 सेवानिवृत्ति के बाद जिन अधिकारियों को पुनर्विनियोजन हुआ है, उन्हें सामान्यतया सेवा निवृत्ति के समय धारित अंतिम पद के उपयुक्त स्थान दिया जाएगा ।

टिप्पणी :–10 छत्तीसगढ़ राज्य शासन के गणमान्यों द्वारा अन्य राज्यों के समान स्तर के गणमान्यों को पूर्वता दी जाएगी ।

टिप्पणी :–11 विभिन्न आयोग/अधिकरणों/प्राधिकरणों/राज्य निगमों/जिला पंचायत के अनिर्वाचित तथा अशासकीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्य जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और जो मुख्य पूर्वता कम में सम्मिलित नहीं हैं, वे राज्य के समारोह कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाने पर उपरोक्त अनुच्छेद 28 पर पूर्वता प्राप्त करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-1/2006/1/एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2006/1/एक, दिनांक 31-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 31st December 2013

NOTIFICATION

No. F 1-1/2006/1/One. — In supersession of all previous notifications issued on the subject, the following table showing the Order of Precedence with respect to rank and office of persons named therein which has been approved by the Governor of Chhattisgarh, is published for general information :-

1. President
2. Vice-President
3. Prime Minister
4. Governor of Chhattisgarh
5. Former Presidents
6. Deputy Prime Minister
7. Chief Justice of India

   Speaker of Lok Sabha
8. Chief Minister of Chhattisgarh

   Cabinet Ministers of the Union

   Deputy Chairman, Planning Commission

   Former Prime Ministers

   Leaders of Opposition in Rajya Sabha and Lok Sabha
9. Holders of Bharat Ratna decoration
10. Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and High Commissioners of Commonwealth countries accredited to India.

    Governors of other States/Union Territories

    Chief Ministers of Other States/Union Territories
11. Judges of the Supreme Court
12. Chairperson, Union Public Service Commission

    Chief Election Commissioner

    Chief Information Commissioner

    Comptroller and Auditor-General of India

    Dignitaries having status equivalent to Supreme Court Judges

13. Deputy Chairman, Rajya Sabha
Deputy Speaker, Lok Sabha
Ministers of State of the Union
Deputy Chief Minister of Chhattisgarh
Members of the Planning Commission

14. Attorney-General of India
Cabinet Secretary

15. Chiefs of Staff holding the rank of full General or equivalent rank

16. Envoys Extraordinary and Ministers Plenipotentiary accredited to India

17. Chief Justice of High Court Chhattisgarh
Lokayukta Chhattisgarh (Retired Judges of the Supreme Court)
Chairman, Human Rights Commission
Speaker of Chhattisgarh State Legislative Assembly

18. Cabinet Ministers of Chhattisgarh
Lokayukta Chhattisgarh (Retired Chief Justice of High Court)
Deputy Minister of the Union
Leader of Opposition Chhattisgarh State Legislative Assembly
Judges of Chhattisgarh High Court/Executive Chairman, Chhattisgarh State Legal Service Authority
Ex-Chief Minister of Chhattisgarh
Former Chief Justice of High Court of Chhattisgarh
Lokayukta Chhattisgarh (Retired Justice of High Court)
Chief Information Commissioner, Chhattisgarh

19. Officiating Chiefs of Staff holding the rank of Lieutenant General or equivalent rank

20. Chairman, Central Administrative Tribunal
Chairman, Minorities Commission
Chairman, National Commission for Scheduled Castes
Chairman, National Commission for Scheduled Tribes
Chief Justices of High Courts of Other States
Up-Lokayukta Chhattisgarh
Chhattisgarh State Election Commissioner
Dignitaries having status equivalent to High Court Judges

21. Cabinet Ministers of Other States/Union Territories
Chairman and Speakers of Legislatures of Other States/Union Territories
Chairman, Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission
Ministers of State Chhattisgarh
Deputy Speaker of Chhattisgarh State Legislature

22. Advocate General, Chhattisgarh
Deputy Ministers of Chhattisgarh
Members of Parliament
Parliamentary Secretary of Chhattisgarh
Government Chief Whip of Chhattisgarh.
Former Speaker of Chhattisgarh
Chairman, Chhattisgarh Arbitration Tribunal
Chairman, Chhattisgarh State Waqf Tribunal
Chariman, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission

23. Members of Chhattisgarh Legislative Assembly
Chief Secretary of Chhattisgarh
Deputy Chairman and Deputy Speaker of Legislative Assemblies of Other States/Union Territories
Ministers of State of Other States
Puisne Judges of High Courts of Other States

24. Chairman, Zila Panchayat (within their respective Districts)
Mayor of Municipal Corporation
Elected dignitaries having equivalent status of Minister or Minister of State of Chhattisgarh

25. Deputy Ministers of Other States

26. Secretaries to the Government of India (including officers holding this office ex-officio)
Army Commanders/Vice-Chief of the Army Staff or equivalent in Other services

Commissioner for linguistic Minorities

Chairman, Scheduled Castes /Scheduled Tribes

Members, Minorities Commission

Members, National Commission for Scheduled Castes

Members, National Commission for Scheduled Tribes

Officers of the rank of full General or equivalent rank

Secretary to the President

Secretary to the Prime Minister

Secretary General, Rajya Sabha / Lok Sabha

Solicitor-General

Vice-Chairman, Central Administrative Tribunal

President Board of Revenue Chhattisgarh

Chairman, State Public Service Commission, Chhattisgarh

Chairman, Chhattisgarh Regulatory Commission

Director General, Chhattisgarh Academy of Administration

Additional Chief Secretaries to the Government of Chhattisgarh

27. Officers of the Rank of Lieutenant General of Equivalent Rank

28. Chief Secretaries of Other States/Administrators Union Territories

Additional Secretaries to the Government of India

Additional Solicitor-General

Chairman, Tariff Commission

Charge'd Affairs and Acting High Commissioners be-pied and interim.

Chief Vigilance Commissioner

Director, Intelligence Bureau

Deputy Comptroller and Auditor-General

Director, Central Bureau of Investigation

Director General Border Security Force

Director General, Central Reserve Police Force

Members, Central Administrative Tribunal

Members. Monopolies and Restrictive Trade Practices

Commission.

Members, Union Public Service Commission.

Principal Staff Officers of the Armed Forces of the rank of Major General or equivalent rank

General Manager, Railways

29. Joint Secretary to the Government of the India and officers of equivalent rank Officers of the rank of Major-General or equivalent rank

30 Principal Secretaries to Government of Chhattisgarh

Chief Electoral Officer, Chhattisgarh

Director General of Police, Chhattisgarh and Officers of equivalent rank

Principal Chief Conservator of Forest

Chief Commissioner of Central Excise

Chief Commissioner of Income Tax. Chhattisgarh

Post Master General, Chhattisgarh

Accountant General, Chhattisgarh

Members, Chhattisgarh Human Rights Commission

Members, Board of Revenue, Chhattisgarh

Members, State Public Service Commission, Chhattisgarh

Information Commissioner, Chhattisgarh

Secretary to Governor, Chhattisgarh

Secretary to Chief Minister, Chhattisgarh

Secretary of Chhattisgarh State Legislative Assembly

31. Commissioners (Supertime Scale)

Divisional Commissioners of Divisions

Secretaries to the Government of Chhattisgarh and Officers of equivalent rank

Registrar of High Court Chhattisgarh

Additional Director General of Police

Divisional Railway Manager, Railway

Additional Principal Chief Conservator of Forest

32. Inspector General of Police and officers of equivalent rank

Chief Conservator of Forest

Engineer-in-Chief

Ex-Minister and Ex-Minister of State of Chhattisgarh

Retired Chief Secretaries of Chhattisgarh

Chief General Manager, Telecommunications

33. Additional Secretaries/Special Secretaries to the Government of Chhattisgarh and officers of equivalent rank

CMD of Public Sector Undertakings of Government of India located in C.G.

Vice Chancellors of Universities in Chhattisgarh

Additional Advocate General, Chhattisgarh

Chairman, Commercial Tax Tribunal

34. District and Sessions Judge (within their respective Districts)

Collector and District Magistrate of District (in their respective Districts)

Deputy Inspector General of Police (within their respective local jurisdiction)

Conservator of Forest (within their respective local jurisdiction)

(In sequence 2, 3 and 4 of this entry, the order of precedence of Officer's will be in accordance with their respective grade pays.)

Judicial Officers of the rank of District Judge

Brigadier and Officers Holding equivalent Rank in IAF and Indian Navy

Joint Secretary to Government of Chhattisgarh and Equivalent cadre

Deputy Secretary to Government of Chhattisgarh and Equivalent cadre

Other Major Heads/Directors of Departments and officers of equivalent rank

Chief Engineers of Departments and officers of equivalent rank

35. Senior Superintendents of Police/Superintendents of Police of Districts
Colonel and officers of equivalent rank of Defence forces
Deputy Secretary to Government of Chhattisgarh
Additional District Magistrate and Sessions Judge
Divisional forest Officer and officers of equivalent rank
Chief Executive Officer, Zila Panchayat
Chief Medical Officers

36. Indian Administrative Service and Indian Police Service Officers of Junior Scale Other Additional and Joint Heads of Departments
State Protocol Officer, Chhattisgarh
Other Divisional Level Officers(not included otherwise)
Additional Collector/Additional District Magistrate and officers of equivalent rank
Chief Judicial Magistrate within their jurisdiction
Assistant Inspector General of Police and officers of equivalent rank
Superintending Engineers of Departments and officers of equivalent rank
Under Secretary to Government of Chhattisgarh and equivalent cadre
Deputy Commissioners/Additional/Joint Directors of Departments and officers of equivalent rank
Station Director, All India Radio/Doordarshan
Other Officers including District Level officers of the District.

Note 1:- The Table of Precedence is meant for ceremonial occasions and has nothing to do with day-to-day functioning of the Government.

छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2013

Note 2:-Persons in the Table of Precedence will rank in order of the number of the articles.

Note 3:- In Article 8, former Prime Ministers will take precedence over the Cabinet Ministers of the Union and the Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and the Lok Sabha. The Chief Ministers of Chhattisgarh will take precedence over the Cabinet Ministers of the Union in official functions held in Chhattisgarh.

Note 4:- When Members of Parliament are invited en bloc to major State functions, the enclosures reserved for them should be next to the Chief Justice, Speaker of the Lok Sabha, Ambassadors etc.

Note 5:-Mayor of Municipal Corporation will rank below Deputy Minister of State (below Article No. 22) within their jurisdiction.

Note 6:- The order in this Table of precedence is meant for State and Ceremonial occasions and may not be strictly followed on more informal occasions.

Note 7:- When two persons of the same category are placed in one article, the person higher in rank in the hierarchy of post will take precedence over the person lower in rank.

Note 8:- Officers in sequence No. 1 and 2 of serial No. 34 of the Table of precedence will take precedence inter se according to the date of entry in that number.

Note 9:- Government officers who have been reemployed after retirement should be assigned position generally appropriate to the last posts held by them before retirement.

Note 10:- Dignitaries of equal status from other States will be preceded by dignitaries of the State Government of Chhattisgarh.

Note 11:- Non-elected and Non-official Chairman/Vice Chairman and members of various Commissions/Tribunals/Authorities/State

Corporations /Zila Panchayat having status of Minister/Minister of State although not included in the main order of precedence will take precedence above Article number 28 when invited for State and Ceremonial functions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.